



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग  
महालेखाकार का कार्यालय  
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र



INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL  
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA

2 गी मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यू मराने लाईन्स, 101, महर्षी करवे रोड, चर्चगेट,  
मुंबई - 400 020. दूरभाष क्र. - (022)22039680, फॅक्स - 22086984.  
ई-मेल: [agaeMaharashtra1@cag.gov.in](mailto:agaeMaharashtra1@cag.gov.in), वेबसाईट: <http://agmaha.cag.gov.in>

2<sup>nd</sup> Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road,  
Churchgate, Mumbai - 400 020. Tel.No. - (022) 22039680, Fax - 22086984  
e-mail : [agaeMaharashtra1@cag.gov.in](mailto:agaeMaharashtra1@cag.gov.in), Website : <http://agmaha.cag.gov.in>

No.PA-I/Ch.5/61261992/GR/Bihar/ 81132045

Date: 15/06/2023

To,

✓ Sr. Accounts Officer,  
I/c EDP Support Section.

Subject: **Uploading of Govt. of Bihar/Orders on this office website.**

Sir,

This office has received Govt. of **Bihar** Orders regarding :

Revised rates of Dearness Relief @42% w.e.f. 01/01/2023 to the State Govt. Pensioners/Family pensioners. (Enhanced from 38% to 42%).

It is therefore requested to upload the said Orders on our office website i.e.

[cag.gov.in/ae/mumbai/en](http://cag.gov.in/ae/mumbai/en)

I am to forward herewith a copy of Government of **Bihar, Resolution No.**

Govt. of Bihar, Resolution No. 3ए-3.पु.-(भत्ता)-01/2022/3352/वि. Dated 11/04/2023.

You are requested to do the needful at the earliest and inform this section accordingly.

Yours faithfully,

✓ Encl : As stated

Sr. Accounts Officer/PA-I



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग  
महालेखाकार का कार्यालय  
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र



INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL  
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA

2 गे मंजिन, प्रतिष्ठा भवन, न्यू मरिन लाईन्स, 101, महर्षी करवें रोड, चर्चगेट,  
मुंबई - 400 020. दूरभाष क्र. - (022)22039680, फॅक्स - 22086984  
ई-मेल: [agaeMaharashtra1@cag.gov.in](mailto:agaeMaharashtra1@cag.gov.in), वेबसाइट: <http://agmaha.cag.gov.in>

2<sup>nd</sup> Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road,  
Churchgate, Mumbai - 400 020. Tel.No.- (022) 22039680, Fax - 22086984  
e-mail: [agaeMaharashtra1@cag.gov.in](mailto:agaeMaharashtra1@cag.gov.in), Website: <http://agmaha.cag.gov.in>

पंजीकृत डाक

Date: 15/06/2023

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं.P/23/Govt/61261992/Bihar/Ch.5/जा.सं. 61132045

सेवा में,

1. सभी खजाना कार्यालय,
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी,  
लेखा-को भवन, ए विंग,  
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व,  
मुंबई-400 051.

विषय—**Revised rates of Dearness Relief @ 42% to Bihar Government Pensioners and Family Pensioners w.e.f. 01/01/2023. (Enhanced from 38% to 42%).**

संदर्भ --Govt. of Bihar, Resolution No.3ए-3.पु.-(भत्ता)-01/2022/3352/ वि. Dated 11/04/2022.

महोदय,

उपरनिर्दिष्ट पत्र की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है, जो महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) Bihar, Patna के पत्र संख्या Pen--09--124 दिनांक 28/04/2023 द्वारा प्राप्त हुआ है।

2. संलग्न जी.आर. के अनुसार कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी खजाना अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले तथा उन सभी उप खजाना कार्यालयों को इस जी.आर./परिपत्र की प्रति भेजें। क्योंकि उन्हें अलग से जी.आर. नहीं भेजा गया है
3. सभी Bihar सरकार के पेंशन धारकों को सूचित करने के लिए परिपत्र की एक प्रति कृपया सूचना पट्ट पर दर्शायें।
4. **The said Orders have been uploaded on this office website i.e. [cag.gov.in/ae/mumbai/en](http://cag.gov.in/ae/mumbai/en)**  
कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए. I

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/23/Govt/61261992/Bihar/Ch.5/जा.सं.

1. कार्यालय, महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर-440 001 (पेंशन विविध अनुभाग)
2. निदेशक, खजाना एवं लेखा, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई.
3. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, पुणे विभाग, पुणे.
4. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नागपुर विभाग, नागपुर.
5. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक
6. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
7. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, अमरावती. विभाग, अमरावती.
8. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वेतन एवं लेखा अधिकारी, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
9. The Directorate of Accounts and Treasuries, New Administrative Building, 5<sup>th</sup> Floor, Computer Section, Opp. Mantralaya - 32.
10. महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) , Bihar, Patna के पत्र संख्या Pen-09--124 दिनांक 28/04/2023.

बिहार सरकार  
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2023 के प्रभाव से 38% के स्थान पर 42% महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-9731/वि० दिनांक-18/10/2022 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2022 के प्रभाव से 38% की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/04/2023-P&PW(D), दिनांक-06.04.2023 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को दिनांक-01/01/2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 38% से बढ़ाकर 42% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

- (i) सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2023 के प्रभाव से 38% के स्थान पर 42% महंगाई राहत की स्वीकृति दी जाती है।
- (ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।
- (iii) महंगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- (iv) उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5. उक्त वर्धित दर से महंगाई राहत की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2023 के पेंशन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा।

6. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं

✓

B. no. 1997  
EUP(S)

असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को वर्धित दर से महँगाई राहत, माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से भुगतेय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

पटना, दिनांक:- 11/04/2023

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-01/2022-3352/वि०

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल मथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

A.G.B

12 APR 2023

11/4/2023

PEN 12042301005

Wen

P-04

12/4